

When industry giants speak, everyone listens.

In-depth Q&As with market mavens — every Monday in Business Standard.

To book your copy, SMS reachbs to 57575 or email order@bsmail.in



Business Standard Insight Out



Bandhan Bank

बंधन बैंक लिमिटेड
सी.आई.एन. L67190WB2014PLC204622
पंजीकृत कार्यालय:
डी.एन. 32 सेक्टर-V, सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700091

गिरवी रखी गई संपत्तियों – सोने के गहनों और सिक्कों – की नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

क्रम संख्या	राज्य	शाखा का नाम	शाखा पता
1	हिमाचल प्रदेश	शिमला	प्रथम तल, छज्ता हाइड्रॉ, संजोली चोक, शिमला, हिमाचल प्रदेश, पिन-171006

इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से यह सूचित किया जाता है कि सोने के गहनों (जिन्हें इसके बाद 'संपत्तियां' कहा जाएगा) की नीलामी जैसा है, जहां है के आधार पर की जाएगी। ये सोने के गहने/सिक्के, नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/उधारकर्ताओं द्वारा, उक्त सोने की वस्तुओं को गिरवी रखकर प्राप्त की गई ऋण सुविधा के संबंध में, बैंक के पास गिरवी रखे गए हैं।

क्रम संख्या	राज्य	शाखा का नाम	ग्राहक का नाम	खाता संख्या	नेट बेट
1	हिमाचल प्रदेश	शिमला	संजय कुमार	90001546742403	15.20
2	हिमाचल प्रदेश	शिमला	शांता कुमार	90001560066180	10.00
3	हिमाचल प्रदेश	शिमला	पुष्पा	90001542382982	118.70
4	हिमाचल प्रदेश	शिमला	चेत राम	90001559130300	20.80

ध्यान दें: आगे की शर्तों और नियमों के लिए, कृपया बैंक के अधिकृत अधिकारियों से संपर्क करें।
नीलामी की तिथि: इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 31वें दिन।



Bandhan Bank

बंधन बैंक लिमिटेड
सी.आई.एन. L67190WB2014PLC204622
पंजीकृत कार्यालय:
डी.एन. 32 सेक्टर-V, सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700091

गिरवी रखी गई संपत्तियों – सोने के गहनों और सिक्कों – की नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

क्रम संख्या	राज्य	शाखा का नाम	शाखा पता
1	उत्तराखंड	हरिद्वार	फ्लॉट नं॰ 368/213, ऑप. सैनी आश्रम, ज्वालापुर रोड, हरिद्वार, पी.ओ. ज्वालापुर, उत्तर खंड, पिन – 249407
2	उत्तराखंड	कोटद्वार शाखा	जेएफडी कॉम्प्लेक्स, देवी रोड, खाता नंबर 30, गांव सीताबपुर, तहसील कोटद्वार, जिला. गढ़वाल, राज्य. उत्तराखंड, पिन। 246149
3	उत्तराखंड	रुड़की	22/ए रामनगर गली, पी.ओ. रुड़की, जिला-हरिद्वार, उत्तराखंड, पिन-247667

इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से यह सूचित किया जाता है कि सोने के गहनों (जिन्हें इसके बाद 'संपत्तियां' कहा जाएगा) की नीलामी जैसा है, जहां है के आधार पर की जाएगी। ये सोने के गहने/सिक्के, नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/उधारकर्ताओं द्वारा, उक्त सोने की वस्तुओं को गिरवी रखकर प्राप्त की गई ऋण सुविधा के संबंध में, बैंक के पास गिरवी रखे गए हैं।

क्रम संख्या	राज्य	शाखा का नाम	ग्राहक का नाम	खाता संख्या	नेट बेट
1	उत्तराखंड	हरिद्वार	शमा	90001404227972	20.70
2	उत्तराखंड	कोटद्वार शाखा	कुलदीप सिंह	90001485594649	34.25
3	उत्तराखंड	कोटद्वार शाखा	जोहरा	90001509212823	59.46
4	उत्तराखंड	कोटद्वार शाखा	नजमा	90001539205891	4.20
5	उत्तराखंड	रुड़की	सलमा कुरेशी	90001505400036	81.50

ध्यान दें: आगे की शर्तों और नियमों के लिए, कृपया बैंक के अधिकृत अधिकारियों से संपर्क करें।
नीलामी की तिथि: इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 31वें दिन।

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना					
क्र. सं.	ऋणधारक(को) के नाम (ए)	बंध रखी गई संपत्ति(पी) के विवरण (ख)	एनपीए की तिथि (पी)	बकाया राशि (₹) (घ)	
1	ऋण खाता सं. HHLENOD00403718/HHENOD00407951 1. प्रीति (सह-ऋणधारक, पत्नी तथा स्वर्गीय प्रवीण कुमार स्वामी की कानूनी वारिस) 2. रिमांषी स्वामी (पुत्री तथा स्वर्गीय प्रवीण कुमार स्वामी की कानूनी वारिस)	आवासीय अपार्टमेंट नं. Sun 2-12a06, 13वीं मंजिल पर, जिसका सुपर एरिया लगभग 75.72 वर्ग मीटर, कवर्ड एरिया 59.13 वर्ग मीटर तथा कार्पेट एरिया 46.75 वर्ग मीटर है, जो कि खसरा नंबर 5/4/51, राज नगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद-201010, उत्तर प्रदेश में स्थित 'मिगलन रुफ़' के नाम से प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग में है।	04.01.2020	₹. 29,54,687.12/- (रुपये उन्तीस लाख चौवन हजार छह सौ सत्तासी और बारह पैसे मात्र) (ऋण सुविधा सं. 1 के समूह) तथा ₹. 5,63,518.12 (रुपये पांच लाख तिरसठ हजार पांच सौ अट्ठारह और बारह पैसे मात्र) (ऋण सुविधा सं. 2 के समूह), जिसकी कुल बकाया राशि तिथि 01.06.2026 तक ₹. 35,18,205.24 (रुपये पैंतीस लाख अट्ठारह हजार दो सौ पांच और चौबीस पैसे मात्र) (ऋण सुविधा सं. 1 तथा 2 के समूह) है।	
यह कि ऊपर नामित ऋणधारक (को) अपने ऋण खाता (पी) के प्रति वित्तीय अनुशासन बनाए रखने में विफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम में रखी गई खाता बहियों के अनुसार, स्तंभ घ बकाया राशि को दर्शाता है। ऋणधारक(को) की ओर से ऋण राशि के पुनर्मुग्तान में लगातार धूर्त के कारण, उपरोक्त ऋण खाता को कंपनी द्वारा नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी परिसंपत्ति वर्गीकरण से संबंधित दिशानिर्देशों के तहत अधिभारणकारी परिसंपत्ति (कॉलम सं. दी गई तिथि के अनुसार) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप, अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रत्येक ऋणधारक को सूचनाओं की जारी की गई थी। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कंपनी एतद्वारा ऊपर नामित ऋणधारक (को) से आव्हान करती है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर अद्यतन ब्याज, लागत तथा शुल्कों सहित ऊपर कॉलम घ में दर्शाए गए संपूर्ण बकाया देय का भुगतान करके कंपनी के प्रति अपने दायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वहन करें, ऐसा न करने पर, कंपनी ऊपर कॉलम ख में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति का कब्जा लेने के लिए प्राधिकृत होगी तथा ऐसी अन्य कार्रवाइयां भी करेगी जो कानून में कंपनी को उपलब्ध हैं। कृपया ध्यान दें कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (घ) के प्रावधानों के अनुसार, "एक ऋणधारक सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करके, जनता से निविदा द्वारा या निजी समझौते द्वारा प्रतिभूत संपत्ति (पी) की बिक्री के लिए सूचनाओं के प्रकाशन की तिथि तक ही प्रतिभूत लेनदार द्वारा किए गए सभी लागतों, शुल्कों तथा खर्चों के साथ बकाया देय की संपूर्ण राशि प्रस्तुत कर सकता है। आगे यह भी ध्यान दिया जाए कि यह ऋणधारक उपरोक्त कानूनी रूप से निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रतिभूत परिसंपत्ति को भुगतने में विफल रहता है, तो ऋणधारक संपत्ति को भुगतने का कब्जदार नहीं हो सकता है।" सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (13) के प्रावधानों के अनुसार, एतद्वारा आपको प्रतिभूत लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना, सूचना में संदर्भित किसी भी प्रतिभूत परिसंपत्ति को बिक्री, पट्टे के माध्यम से अथवा अन्यथा किसी भी रूप में हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया जाता है।					
स्थान : गाजियाबाद					प्राधिकृत अधिकारी कृते : सीएफएम एसएट रिफ्रैक्ट्रेशन कंपनी लिमिटेड सीएफएमएसएट्री ट्रस्ट-1 आईएचएफएल के ट्रस्टी

बैंक ऑफ़ इंडिया

Bank of India

BOI

आस्ति वसुली शाखा - गाजियाबाद,
ई-52-बी, सेक्टर-09, नोएडा-201301,
फोन नं.-0120-3295465
ई-मेल- arb.ghaziabad@bankofindia.co.in

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना
परिशिष्ट-IV –A
नियम 8(6) और 9(1) के प्रावधानों के अंतर्गत

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) और 9 (1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्नर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना। आम जनता को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रें) और गारंटर(रें) को सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ़ इंडिया के पास बंधक/दृष्टिबंधक/प्राभारित नीचे वर्णित अचल संपत्तियां हैं, जिनका रचनात्मक/भौतिक कब्जा बैंक ऑफ़ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, 09.07.2026 (समय 11:00 पूर्वाह्न से 5:00 अपराह्न) को 'जैसा है जहां है' और 'जो कुछ भी है वहां है' के आधार पर बेचा जाएगा। ईएमडी/दस्तावेजों को ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि 08.07.2026 है। इच्छुक खरीदार अपना नाम www.baanknet.com पोर्टल पर पंजीकृत करवाएंगे और ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाइन ईएमडी जमा करेंगे। बेची जाने वाली संपत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है: वसूल की जाने वाली राशि (प्रतिभूत ऋण) और कच्चे का विवरण भी नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है।

क्र. सं.	शाखा का नाम तथा खाता का नाम/कर्जदार का नाम	विवरण तथा सम्पत्ति के स्वामी	मांग सूचना की तिथि/बकाया तथा कच्चे का प्रकार	आरक्षित मूल्य ईएमडी बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	अधिकृत प्राधिकारी का नाम तथा मोबाइल नं.
1.	1. मैसर्स पी.पी. मेटल वर्क्स (प्रोपराइटर-सुमित कुमार वाण्योय पुत्र श्री प्रदीप कुमार वाण्योय) 19/202-यू, खसरा नंबर 226/1/2 का हिस्सा, कृष्णपुरी मंटिया, जिला-अलीगढ़, उ.प्र.-202001 2. श्री सुमित कुमार वाण्योय पुत्र श्री प्रदीप कुमार वाण्योय 15/50, नंदन भवन, तमोली पारा, जिला-अलीगढ़, उ.प्र.-202001	श्री सुमित कुमार वाण्योय पुत्र श्री प्रदीप कुमार वाण्योय के नाम पर मौजूद आवासीय सम्पत्ति के समस्त भाग का इक्विटिबल बंधक। पता: मकान नंबर 19/202, खसरा नंबर 226/1/2 का हिस्सा, कस्बा- कोइल, कुम्हापुरी के पास, पोस्ट और तहसील-कोइल, अलीगढ़। क्षेत्रफल- 100.73 वर्ग मीटर। सीमाएं: उत्तर- 8 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण- के. पी. स्कूल की जमीन, पूर्व- राजेंद्र प्रसाद की जमीन (अभी कृष्ण कुमार सारस्वत का घर), पश्चिम- के. पी. स्कूल की जमीन।	रु. 1,00,50,881.35 + अप्रयुक्त ब्याज और 30.04.2021 तक का कोई भी बकाया [यह सम्पत्ति बैंक के सांकेतिक कच्चे में है]	रु. 24.30 लाख रु. 2.43 लाख रु. 0.25 लाख	09.07.2026 11 बजे पूर्वा. से 5 बजे अप.	कैलाश कुमार सागर 9506722936
2.	1) श्रीमती पूनम यादव पत्नी श्री कमल यादव 19/527, ए7, वेद नगर-अलीगढ़, उ.प्र.-202001. इसके अलावा: श्रीमती पूनम यादव पत्नी श्री कमल यादव खेत नं-294/6 का हिस्सा, गंभीरपुरा पोस्ट पर स्थित और एएमपी; तहसील कोइल, अलीगढ़-202001. 2) श्री कमल यादव पुत्र श्री प्रेमपाल सिंह यादव, 19/527, ए7, वेद नगर-अलीगढ़, उ.प्र.-202001। इसके अलावा: श्री कमल यादव पुत्र श्री प्रेमपाल सिंह खेत संख्या-294/6 का हिस्सा, गंभीरपुरा पोस्ट और एएमपी; तहसील कोइल, अलीगढ़-202001	श्रीमती पूनम यादव पत्नी श्री कमल कुमार के नाम पर मौजूद 237.50 वर्ग गज का आवासीय प्लॉट। पता: खेत नंबर- 294 का हिस्सा, गंभीरपुरा परगना और तहसील कोइल, जिला- अलीगढ़-उ.प्र.- 202001। सीमाएं: पूर्व: 12 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम: श्रीमती कुमकुम देवी का घर, दक्षिण: नेकसईमल और सोमपाल दरोगा का घर, उत्तर: आशा देवी और श्री श्याम वाण्योय का घर।	रु. 58,89,302.18 + अप्रयुक्त ब्याज और 01.05.2023 से कोई भी बकाया [यह सम्पत्ति बैंक के सांकेतिक कच्चे में है]	रु. 78.85 लाख रु. 7.89 लाख रु. 1.00 लाख	09.07.2026 11 बजे पूर्वा. से 5 बजे अप.	कैलाश कुमार सागर 9506722936
3.	1. मैसर्स यदु इंटरप्राइजेज अपने साझेदारों श्रीमती नीरू यादव और श्री विनोद कुमार के माध्यम से पता-21/127, धूलिया गंज, आगरा, उ.प्र.- 282003. 2. श्रीमती नीरू यादव पत्नी श्री विनोद कुमार पता--: 21/127, धूलिया गंज, आगरा, उ.प्र.- 282003 3. श्री विनोद कुमार पुत्र श्री राम प्रकाश पता--: 21/127, धूलिया गंज, आगरा, उ.प्र.- 282003	श्रीमती नीरू यादव पत्नी श्री विनोद कुमार के नाम पर मौजूद गैर-कृषि जमीन। खसरा नंबर-85, खाता नंबर-45, गाँव- सेदरिया, तहसील- सादाबाद, जिला- हाथरस, क्षेत्रफल- 2.165 हेक्टेयर (21,650 वर्ग मीटर)। सीमाएं: पूर्व: कच्चा चक रोड, पश्चिम: टाटा नंबर-84/दुसरों का खेत, दक्षिण: महाराणा सेदरिया लिंक रोड, उत्तर: गाटा नंबर-37/दुसरों का खेत।	रु. 3,82,62,632.31 + अप्रयुक्त ब्याज और 05.12.2025 से कोई भी बकाया [यह सम्पत्ति बैंक के सांकेतिक कच्चे में है]	रु. 531.94 लाख रु. 53.20 लाख रु. 1.00 लाख	09.07.2026 11 बजे पूर्वा. से 5 बजे अप.	कैलाश कुमार सागर 9506722936
4.	1) मैसर्स यदुनाथ एंड संस प्रोपराइटर के माध्यम से- श्रीमती नीरू यादव पता-21/127, धूलिया गंज, आगरा, उ.प्र.-282003. 2) श्रीमती नीरू यादव पत्नी श्री विनोद कुमार पता--: 21/127, धूलिया गंज, आगरा, उ.प्र.- 282003. 3) श्री विनोद कुमार पुत्र श्री राम प्रकाश पता--: 21/127, धूलिया गंज, आगरा, उ.प्र.- 282003		रु. 3,90,11,651 + अप्रयुक्त ब्याज और 05.12.2025 से कोई भी बकाया [यह सम्पत्ति बैंक के सांकेतिक कच्चे में है]	रु. 531.94 लाख रु. 53.20 लाख रु. 1.00 लाख	09.07.2026 11 बजे पूर्वा. से 5 बजे अप.	कैलाश कुमार सागर 9506722936

नियम और शर्तें:

- नीलामी बिक्री/बोली केवल <https://baanknet.com/eauction-psb/bidder-registration> वेबसाइट के माध्यम से "ऑनलाइन बोली प्रक्रिया" के माध्यम से होगी।
- ई-नीलामी की तिथि और समय 09.07.2026 (11.00 पूर्वाह्न से 05.00 अपराह्न तक प्रत्येक 10 मिनट के अंतिम-क्वैटेशन के साथ) है। ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 08.07.2026 है।
- नीलामी बैंक की वेबसाइट में उल्लिखित आरक्षित मूल्य और पहले वृद्धिशील मूल्य पर शुरू होगी। बोलीदाताओं को संपत्ति के लिए उपरोक्त तालिका में उल्लिखित गुणकों/वृद्धिशील मूल्य में एक साथ अपने प्रस्तावों में सुधार करना होगा। संपत्ति आरक्षित मूल्य और पहले वृद्धिशील मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी।
- इच्छुक बोलीदाताओं को अपना नाम www.baanknet.com पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा। और ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ईएमडी ऑनलाइन जमा करें और उसके बाद उन्हें उक्त पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। खरीदार वेबसाइट पर अपने केवाईडी दस्तावेज, फोन नंबर और ईमेल आईडी जमा करेंगे।
- संपत्ति सभी मौजूदा या भावी ऋणधार (यदि कोई हो) के साथ बेची जाएगी। अधिकृत अधिकारी संपत्तियों पर किसी तीसरे पक्ष के अधिकार/दावे या बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- अधिकृत अधिकारी के संश्लेष ज्ञान और जानकारी के अनुसार, संपत्ति पर कोई भार नहीं है। इच्छुक बोलीदाताओं को ऋणधार/संपत्तियों के स्वामित्व, वैधानिक देयता/कर देयता/संपत्ति कर के बकाया आदि के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। संपत्तियों को www.baanknet.com वेबसाइट पर लॉगिन करके देखा जा सकता है। संपत्ति के भौतिक निरीक्षण के लिए बैकिंग कार्य समय के दौरान प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
- सफल बोलीदाता/क्रेता को संपत्ति को खरीद पर देय बिक्री मूल्य के 1% की दर से टीडीएस (यदि बिक्री मूल्य 50/- लाख और उससे अधिक है) सहित सभी करों का भुगतान करना होगा और ऑनलाइन बिक्री के संचालन के लिए सेवा प्रदाता को देय करों का भुगतान करना होगा। साथ ही बिक्री प्रमाण पत्र के निष्पादन के लिए देय शुल्क जैसे स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क, आदि सफल बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।
- असफल बोलीदाता ईएमडी की वापसी के लिए ईबिक/बैंकनेट से स्वयं संपर्क करेंगे। अधिकृत अधिकारी ईएमडी की वापसी के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
- अधिकृत प्राधिकारी/बैंक उच्चतम परतव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और उन्हें किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने या ई-नीलामी को स्थगित/आस्थगित/रद्द करने या किसी भी संपत्ति या उसके हिस्से को किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताए नीलामी की कार्यवाही से वापस लेने का पूर्ण अधिकार है।
- बिक्री प्रमाण-पत्र केवल क्रेता/आवेदक के नाम पर जारी किया जाएगा तथा किसी अन्य नाम पर जारी नहीं किया जाएगा।
- सफल बोलीदाता की जमा धरोहर राशि (ईएमडी) आंशिक बिक्री प्रतिफल के रूप में रखी जाएगी। जमा धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। सफल बोलीदाताओं को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य स्वीकार किए जाने के तुरंत बाद/अगले कार्य दिवसों के अंत से पहले पहले से भुगतान की गई ईएमडी सहित बिक्री मूल्य का 25% तथा बिक्री मूल्य का शेष भाग बिक्री के 15वें दिन या उससे पहले जमा करना होगा। नीलामी बिक्री बैंक द्वारा पुरि के अधीन है। सफल बोलीदाताओं द्वारा राशि जमा करने में चूक करने पर पहले से जमा की गई पूर्ण राशि जब्त करी जाएगी तथा संपत्ति को फिर से नीलाम किया जाएगा तथा चूककर्ता बोलीदाताओं का संपत्ति/राशि के संबंध में कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।
- इच्छुक बोलीदाता जो वेबसाइट पर पंजीकृत होना चाहते हैं और ईएमडी जमा करना चाहते हैं और लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाते, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करते, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता रखते हैं, वे ग्राहक सेवा से 02912202220 या support.baanknet@psballiance.com पर संपर्क कर सकते हैं और किसी भी संपत्ति से संबंधित प्रश्न के लिए अधिकृत अधिकारियों से उनके संबंधित फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बिक्री अधिकृत प्राधिकारियों द्वारा वेबसाइट www.baanknet.com में दिए गए ई-नीलामी चेटरनॉम के माध्यम से की जाएगी।

नोट: सभी इच्छुक बोलीदाता 19.06.2026 से 08.07.2026 तक बैंक के कार्य समय के दौरान एओ/शाखा से बैंक के कार्य करने के बाद संपत्ति और उसके ब्याज या उल्लिखित तिथि से पहले साइट वजिट के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया <https://www.bankofindia.co.in> / <https://www.baanknet.com> पर दिए गए लिंक का संदर्भ लें।

तिथि : 18.06.2026, स्थान : नोएडा



peoplehome

पीपल होम फाइनैस लिमिटेड
(पूर्व में कैपिटल इंडिया होम लॉन्स लिमिटेड के नाम से ज्ञात) CIN No. U65990DL2017PLC322041
पंजीकृत कार्यालय: उन्नीसवीं मंजिल, 19एनडब्ल्यू, दि रुबी, 29 एनआर सेनापति बापट मार्ग, दावर (डब्ल्यू), शिवाजी पार्क, मुंबई, एमएच- 400028

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (“अधिनियम”) की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (नियम) के अधीन मांग सूचना

आप नीचे उल्लेखित कर्जदारों ने ऋण अनुबंध तथा अन्य लेनदेन दस्तावेज ("लेनदेन दस्तावेज") के नियम एवं शर्तों के अनुसार यहां नीचे उल्लेखित सम्पत्ति ("प्रत्याभूत सम्पत्ति") की जमानत के एवज में **पीपल होम फाइनैस लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल इंडिया होम लॉन्स लिमिटेड के नाम से ज्ञात)** ("ऋणदाता"/"प्रत्याभूत ऋणदाता") से ऋण हासिल किया है। आपके द्वारा रकम चुकता करने में विफल होने के परिणामस्वरूप, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी सम्पत्ति वर्गीकरण से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार आपके ऋण खाते को अनर्जक सम्पत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। ऋणदाता ने अधिनियम की धारा 13(2) तथा नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के मद्देनजर आपको नीचे किए गए उल्लेख के अनुसार मांग सूचना जारी की है। इसलिए, अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अनुसार सूचना सौचित किए जाने के लिए वर्तमान सूचना का प्रकाशन किया जा रहा है।

कर्जदार का नाम एवं पता, ऋण खाता सं.	प्रत्याभूत सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि एवं एनपीए की तिथि	मांग सूचना के अनुसार बकाया रकम
रेणु पत्नी लवकेश जोहरी लवकेश जोहरी पुत्र ऊमापति शंकर मकान सं. 130, अनारकली, शिव मंदिर के निकट, आजाद नगर एस.ओ. (ईस्ट दिल्ली), दिल्ली-110051 और एक पता: रेणु पत्नी लवकेश जोहरी गली सं. 5, पप्पू कॉलोनी, ग्राम मोपुरा, परगना लोनी, तहसील तथा गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201005 में स्थित खसरा सं. 553 भिन में से, 55 वर्ग याई परिमाण क्षेत्रफल का आवासीय मकान सं. ई-104 साथ में सभी अधिकार (जिसमें सामान्य क्षेत्रों, सुविधाओं, सुख-सुविधाओं, विकास अधिकारों तथा सभी फर्निचर, फिक्सचरों, फीटिंगों तथा वॉल फ्लान समस्त वस्तुओं आदि के उपयोग एवं अधिभोग के अधिकार शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं) (जैसा लागू हो), जिसकी बीहडी इस प्रकार है: पूर्व: मालिकाना विलेख के अनुसार, पश्चिम: मालिकाना विलेख के अनुसार, उत्तर: मालिकाना विलेख के अनुसार, दक्षिण: मालिकाना विलेख के अनुसार	गली सं. 5, पप्पू कॉलोनी, ग्राम मोपुरा, परगना लोनी, तहसील तथा गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित खसरा सं. 553 भिन में से, 55 वर्ग याई परिमाण क्षेत्रफल का आवासीय मकान सं. ई-104.	20-05-2026 तथा 11/05/2026	दिनांक 12/05/2026 के अनुसार ₹. 19,57,941/- (रुपये उन्नीस लाख सनवावन हजार नौ सौ इकतालीस मात्र)
HLNHFLNOI0017744			हस्ता/- तारीख: 19.06.2026

इसलिए आपको इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों की अवधि के अंदर ऋणदाता को ऊपर उल्लेखित रकम के साथ भुगतान की तारीख तक उपार्जित/उपार्जित होने वाले आगे के ब्याज, लागत, व्यय इत्यादि की रकम चुकता करने को कहा जाता है, अन्यथा ऋणदाता अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाई करेगा। कृपया ध्यान दें कि अधिनियम की धारा 13(4), अन्य विषयों के साथ, के अधीन प्रत्याभूत ऋणदाता के पास उपलब्ध शक्तियों में प्रत्याभूत सम्पत्तियों पर कब्जा करने के साथ प्रत्याभूत सम्पत्तियों को मुक्त कराने के लिए पट्टा, सुपुर्दगी अथवा बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण करने, प्रत्याभूत सम्पत्तियों के प्रबंधन के लिए प्रबंधक के रूप में किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करने तथा कर्जदार से किसी भी प्रत्याभूत सम्पत्तियों का अधिग्रहण करने वाले किसी भी व्यक्ति को आदेश देने तथा जिनसे कर्जदार के प्रति कोई भी रकम बकाया है अथवा बकाया हो सकता है, प्रत्याभूत ऋण का भुगतान करने के लिए जो पर्याप्त रकम है प्रत्याभूत ऋणदाता को भुगतान करने का अधिकार शामिल है। अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आप पर बिक्री, पट्टा अथवा अन्य किसी भी रूप में प्रत्याभूत सम्पत्तियों के साथ सौदा करने, निपटान करने, हस्तांतरण पर रोक/निषेधाज्ञा लगा दी गई है।

अधिकृत अधिकारी -पीपल होम फाइनैस लिमिटेड
स्थान: दिल्ली
(पूर्व में कैपिटल इंडिया होम लॉन्स लिमिटेड के नाम से ज्ञात)



HDFC BANK
 We understand your world

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

मांग सूचना

शाखा का पता: द्वितीय एवं तृतीय तल, प्रीमियर प्लाजा, 106 राजपुर रोड, एस्टेटे हॉल के सामने, देहरादून-248 001
Tel. : 18002100018 CIN : L65920MH1994PLC080618 वेबसाइट : www.hdfcbank.com

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 धारा 13(2) के अंतर्गत

जैसा कि, (माननीय एनसीएलटी-मुंबई द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2023 के आदेश द्वारा अनुमोदित समामेलन योजना के आधार पर पूर्ववर्ती एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ विलय हो गया है) **अधिनियम** की प्रसिध्तिपरक एवं पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अर्न्तगत **एचडीएफसी बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अर्न्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तर्गत मांग सूचना जारी कर जहां नीचे सूचीबद्ध ऋणी/उधारकर्ता/कानूनन वारिसों/ कानूनन प्रतिनिधियों को नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार संबंधित सूचनाओं की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित मांग सूचना/ सूचनाओं में वर्णित तथ्यों को वापस लौटाने के लिये कहा जा। अधोहस्ताक्षरी ने उक्त ऋणी/उधारकर्ता/कानूनन वारिसों/कानूनन वारिसों/कानूनन प्रतिनिधियों के अंतिम ज्ञात पते के परिसरों में भी दी सूचनाओं को थिपकाया था। उक्त सूचनाओं की प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं, तथा उक्त ऋणी/उधारकर्ता/कानूनन वारिसों/कानूनन प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि वे ऐसा चाहें, उक्त प्रतियों को किसी भी कार्य दिवस को सामान्य कार्यालय अवधि के दौरान अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्त के साथ ही यह बात पुनः एतद्वारा उक्त ऋणी/उधारकर्ता/कानूनन वारिसों/कानूनन प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त ऋणी द्वारा निम्नादिष्ट लिखित में, यदि कोई हो, किसी भी अन्य दस्तावेजों के साथ पठित ऋण अनुबंध के अंतर्गत कॉलम सी में नीचे वर्णित तिथि से मुगतातन एवं/अथवा उगडाई की तिथि तक कानूनन मांग सूचना में वर्णित लागू होने योग्य दर पर आगे के ब्याज के साक्षा यहां नीचे दर्शायी गयी राशि का इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर **एचडीएफसी** की मुगतातन करेंगे। ऋण की देय पुर्नमुगतातन के हिसा प्रतिभूति के रूप में क्रमशः उक्त ऋणी द्वारा **एचडीएफसी** के पास निम्नलिखित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बचत रखा गया है:

ऋणी/उधारकर्ता (औं)/कानूनन वारिस (औं)/कानूनन प्रतिनिधि (औं) का ध्यान सफेकरी एक्ट की धारा 13 की उप-धारा(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तब समय सीमा में प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को रीड्रीन (मोचन) कर सकते हैं।

क्र.सं. (ए)	उधारकर्ता/कानूनन वारिसों/कानूनन प्रतिनिधियों का नाम (बी)	कुल बकाया धनराशि (रु०)* (सी)	मांग सूचना की तिथि (डी)	प्रतिभूत परिसम्पत्ति/अचल सम्पत्ति का विवरण (ई)
1	श्री कमल मुच्चन (ऋणी) श्रीमती अनुपम मुच्चन (सह-ऋणी)	23.96,360/- -दिनांक 30.04.2026 तक एवं 01.05.2026 से देय ब्याज	10.06.2026	सम्पत्ति के समस्त शेष एवं सम्पूर्ण मांग खसरा नं० 371 म के भाग पर मकान, ग्राम दिहरी विस्पाहित क्षेत्र, न्यू पार्श्वलिक नगर, रानीपुर, हरिद्वार, वर्तमान और भविष्य दोनों पर निर्माण सहित,
2	श्री अधिप कुमार (ऋणी) श्रीमती रंजी देवी (सह-ऋणी)	21.82,443/- -दिनांक 30.04.2026 तक एवं 01.05.2026 से देय ब्याज	10.06.2026	सम्पत्ति के समस्त शेष एवं सम्पूर्ण मांग खसरा नं० 349/- 2 भिन पर मकान, प्लाट 15 (भागा, मीठा डंडेरा, परगना रुड़की, जिला हरिद्वार, वर्तमान और भविष्य दोनों पर निर्माण सहित,
3	श्री आशीष के जी सरन (ऋणी) श्री रामशरण (सह-ऋणी)	21.82,443/- -दिनांक 30.04.2026 तक एवं 01.05.2026 से देय ब्याज	10.06.2026	सम्पत्ति के समस्त शेष एवं सम्पूर्ण मांग खसरा नं० 20 ई पर मकान मांग खसरा नं० 546, ग्राम दारा कोत्ताला कालोनी, बदीग्राम, मुनिसिपल नं० 6/941 सी, सहायनपुर, वर्तमान और भविष्य दोनों पर निर्माण सहित,
4	श्री सुमित कुमार (ऋणी) श्रीमती रजनी देवी (सह-ऋणी) श्री महेंद सिंह (सह-ऋणी) श्री अमित कुमार (जमातदार)	15,10,512/- -दिनांक 30.04.2026 तक एवं 01.05.2026 से देय ब्याज	10.06.2026	सम्पत्ति के समस्त शेष एवं सम्पूर्ण मांग खसरा नं० 64 पर प्लाट, ग्राम गंगेशपुर, परगना, रुड़की, जिला हरिद्वार, वर्तमान और भविष्य दोनों पर निर्माण सहित,
5	श्री अजीत सिंह (ऋणी)	1,00,23,427/- -दिनांक 30.04.2026 तक एवं 01.05.2026 से देय ब्याज	10.06.2026	सम्पत्ति के समस्त शेष एवं सम्पूर्ण मांग प्लेट-बी 213 पर मकान, एसोर्टेड ड नेस्ट, टारन बी, प्लाट 06, एनएच-24, बुन्दहेरा, कौसिम रिपब्लिक, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, वर्तमान और भविष्य दोनों पर निर्माण सहित,

* मुगतातन और/या बचसुली की तिथि तक लागू दर से ब्याज, आकरसिक लागत, शुल्क सहित। यदि, उक्त ऋणदाता **एचडीएफसी** को उपरोक्त मुगतातन करने में विफल होते हैं, तो इस अधिनियम की धारा 13(4) लागू होने योग्य निधिमें के अंतर्गत **एचडीएफसी** लागतों एवं परिणामों के संदर्भ में उक्त ऋणी/उधारकर्ता/कानूनन वारिसों/कानूनन प्रतिनिधियों की सम्पूर्ण जगति पर ऊपर प्रतिभूत परिसम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों के प्रति आगे की करवाई करेगी।

इस अधिनियम के अंतर्गत **एचडीएफसी** की पूर्व लिखित सहमति के बिना उक्त ऋणी/उधारकर्ता/कानूनन वारिसों/कानूनन प्रतिनिधियों विद्की, पट्टा अध्याय अथवा अन्य एक परिलक्ष्य प्रतिभूत परिसम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों का अंतरण नहीं कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति सरकारी उपरोक्त करते हैं अथवा इस अधिनियम के प्राक्काओं अथवा उसके अंतर्गत निर्माणों का उत्पन्न करने पर इस अधिनियम के प्राक्कायन के अंतर्गत कैद एवं/अथवा दंड हो सकता है।

दिनांक: 19.06.2026, स्थान : हरिद्वार/सहायनपुर/गाजियाबाद

पंजीकृत अधिकारी - एचडीएफसी बैंक भारत, सेनापति बहा मर्ग, लोवर प्लैट (परिचय) मुम्बई-400 013
प्राधिकृत अधिकारी